



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65895

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 52192/2025

संजय राजभर

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : धीरेंद्र कुमार, उलझन सिंह बिंद

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 81

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीज़न) न्यायालय संख्या 2, मऊ की अदालत में लंबित आपराधिक विविध आवेदन संख्या 22242/2024 (लालिया बनाम सुनील व अन्य) में 10.11.2025 को पारित समन आदेश को रद्द करने के लिए, बीएनएसएस की धारा 528 के तहत यह आवेदन दायर किया गया है। यह मामला थाना कोपागंज, जिला मऊ के बी.एन.एस की धारा 115(2), 324(2) से संबंधित है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक के भाई, सुनील कुमार राजभर ने 02.09.2024 को थाना कोपागंज, जिला मऊ में बी.एन.एस. की धारा 3(5), 352, 351(2), 324(4) और 125 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जो केस क्राइम नंबर 229/2024 के रूप में पंजीकृत हुई। उक्त एफआईआर 14 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गई थी। उचित विवेचना के उपरांत, पुलिस ने 17.11.2024 को आवेदक और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इसके बाद, जवाबी कार्रवाई के तौर पर और आवेदक पर समझौता करने का दबाव बनाने के गलत इरादे से, विपक्षी नंबर 2 ने आवेदक के खिलाफ 02.09.2024 को सुबह लगभग 7:00 बजे हुई कथित घटना को लेकर एक झूठी और बेबुनियाद शिकायत दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने विपक्षी नंबर 2 के दरवाजे पर गंदा पानी फेंका और जब इस पर आपत्ति जताई गई, तो आवेदक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर विपक्षी नंबर 2 और उनके पति के साथ मारपीट की। हालाँकि, ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं थी। इसके अलावा, यह कहा गया है कि विरोधी पक्ष नंबर 2/शिकायतकर्ता का बयान बी.एन.एस.एस. (सीआर.पी.सी.) की धारा 223 के तहत दर्ज किया गया था, और उनके गवाहों, यानी बेचाई और गीता देवी, से सीआर.पी.सी. की धारा 202 के तहत पूछताछ की गई थी। इन सबूतों के आधार पर, मजिस्ट्रेट ने 10.11.2025 को समन जारी करने का आदेश दिया, जिसमें बी.एन.एस. की धारा 115(2) और 324(2) के तहत आवेदक को बुलाया गया। आगे यह भी कहा गया है कि गंभीर हमले के आरोपों के बावजूद, न तो विरोधी पक्ष नंबर 2 और न ही उनके पति की कोई मेडिकल जांच हुई, और शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई चोट की रिपोर्ट या मेडिकल सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए। आखिर में यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट ने 10.11.2025 को समन जारी करने का आदेश देते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ठीक से नहीं समझा और बिना न्यायिक दिमाग का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सही इस्तेमाल किए, आम और यांत्रिक तरीके से विवादित आदेश पारित कर दिया। इसलिए, समन जारी करने का यह विवादित आदेश स्पष्ट रूप से गैर-कानूनी और त्रुटिपूर्ण है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की अर्जी का विरोध किया और कहा कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने विवादित आदेश पारित करने में कोई गैर-कानूनी काम नहीं किया है। यह तर्क दिया गया है कि विपक्षी नंबर 2 ने 2.9.2024 को सुबह लगभग 7:00 बजे हुई घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने खुद का बयान धारा 223 बी.एन.एस.एस. के तहत और गवाहों का बयान धारा 202 सीआर.पी.सी. के तहत दर्ज कराया। शिकायत, धारा 223 बी.एन.एस.एस. और 202 सीआर.पी.सी. के तहत दर्ज बयानों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने सही ढंग से आवेदक को धारा 115(2), 324(2) बी.एन.एस. के तहत समन जारी किया है। इसलिए, यह अर्जी खारिज किए जाने योग्य है।

5. इस मामले के तथ्यों से पता चलता है कि विपक्षी नंबर 2 ने 2.9.2024 को सुबह लगभग 7:00 बजे हुई घटना के संबंध में आवेदक और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस घटना में, आवेदक और अन्य लोग विपक्षी नंबर 2 के घर आए और विपक्षी नंबर 2 तथा उनके पति की पिटाई करने लगे। विपक्षी नंबर 2/शिकायतकर्ता का बयान बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के तहत दर्ज किया गया, और उनके गवाहों, यानी बेचाई और गीता देवी के बयान सीआर.पी.सी. की धारा 202 के तहत दर्ज किए गए। इन तथ्यों और सबूतों के आधार पर, मजिस्ट्रेट ने आवेदक को बी.एन.एस. की धारा 115(2) और 324(2) के तहत तलब किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और इस स्टेज पर मामले के तथ्यों को देखने के बाद, यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। कोर्ट में दी गई सभी दलीलें तथ्यों के विवादित सवालों से जुड़ी हैं, जिन पर यह कोर्ट बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फैसला नहीं कर सकता। इस स्टेज पर केवल 'प्राइमा फेशिए' (प्रथम दृष्टया) मामले को देखना है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य (ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866), हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992 एससीसी (क्रि.) 426), बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा (1992 एससीसी (क्रि.) 192) और आखिर में जंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मो. सराफुल हक और अन्य (पैरा-10) (2005 एससीसी (क्रि.) 283 के मामलों में तय किए गए कानूनों को ध्यान में रखा जाएगा। इस स्टेज पर आरोपी के विवादित बचाव पक्ष पर विचार नहीं किया जा सकता।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे उक्त मामले को रद्द करने का कोई आधार नहीं दिखता; इसलिए, इसे रद्द करने का अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।

8. तदनुसार, आवेदन **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

30 मार्च 2026

मो0 फैजल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”